

FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या:-122/2025 (2025/293)

प्रार्थी

लूणाराम

बनाम

अप्रार्थी

खम्मा वगैरा

किस्म मुकदमा- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनायल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|---|---|
| 12.01.2026 | <p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर विस्तार से सुना गया तथा राजस्व वाद संख्या 31/2021 अनवान लूणाराम बनाम खम्मा वगैरा वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निर्णय दिनांक 16.04.2025 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खाजिर हो गया। जिसे प्रार्थी मनसुख कराकर पुनः राजस्व वाद को गुणावगुण पर निर्णय करवाना चाहते हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। तथा राजस्व वाद संख्या 31/2021 अनवान लूणाराम बनाम खम्मा वगैरा वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निर्णय दिनांक 16.04.2025 को पुनः बराबद किया जाकर दर्ज रजिस्टर किया जावे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।</p> | |

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी